राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट जयपुर, दिनांकः 11 अक्टूबर, 2018

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम में उल्लेखित चूरू जिले की नगरपालिका छापर के वार्ड संख्या 03 एवं 04 तथा नगरपालिका राजगढ के वार्ड संख्या 24 के रिक्त पदों पर उप चुनाव दिनांक 22.10.2018 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधानानुसार मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात **दिनांक 20.10.2018 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 22.10.2018 को सायं 5.00 बजे तक एवं मतगणना दिवस पर दिनांक 24.10.2018** को मतगणना समाप्ति तक **सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(औंकार मल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ.4 (1) (8)नपा/रानिआ/2018/3406 दिनांक 04.10.2018 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर, चूरू।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जयपुर जोन, जयपुर।
10. जिला आबकारी अधिकारी, चूरू।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Rajesh Issrani, 2016/Dry Day

नगरपालिका उपचुनाव कार्यक्रम

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	08.10.2018 (सोमवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11.10.2018 (गुरूवार)
	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने का समय	(प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	12.10.2018 (शुक्रवार) (प्रातः 10.30 बजे से)
4.	अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि	15.10.2018 (सोमवार) (अपराह्न 3.00 बजे तक)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	16.10.2018 (मंगलवार)
6.	मतदान की तिथि (मतदान यदि आवश्यक हुआ तो)	22.10.2018 (सोमवार) (प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक)
7.	मतगणना	24.10.2018 (बुधवार) (प्रातः 8 बजे से)

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान